भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 658

उत्तर देने की तारीख 06.02.2025

खादी उत्पादन

658. **श्री सी. एन. अन्नादुरईः**
श्री जी. सेल्वमः
श्री नवसकनी के.:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दर्ज के गए खादी उत्पादन और बिक्री का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए खादी समूहों और सहकारी समितियों के विकास को सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खादी उत्पादों की पहुंच को बढ़ाने के लिए किन्हीं ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में खादी और अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि खादी संवर्धन का लाभ महिलाओं और ग्रामीण कारीगरों सहित समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्गों तक पहुचें;

(च) खादी कारीगरों को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने में किन-किन विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(छ) सरकार द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर खादी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में दिनांक 31.12.2024 तक वर्ष-वार खादी उत्पादन और बिक्री निम्नानुसार है:

(उत्पादन एवं बिक्री: रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	**वर्ष**	**खादी***	
		उत्पादन	**बिक्री**
1	2021-22	2558.31	5051.72
2	2022-23	2915.83	5942.93
3	2023-24	3206.24	6496.01
4	2024-25 (दिनांक 31.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार)	2538.03	5352.00

* पॉलीवस्त्र और सौर वस्त्र सहित

(ख) जी, हां। सरकार उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए खादी क्लस्टर और खादी संस्थाओं (केआई) के विकास में सहायता करती है। खादी संस्थाएं, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी हैं। केवीआईसी खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसके दो प्रमुख घटक हैं अर्थात खादी विकास योजना (केवीवाई), ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई)। केवीवाई स्कीम का उद्देश्य खादी कारीगरों की उत्पादकता और मजदूरी बढ़ाना, निम्नलिखित घटकों के माध्यम से खादी उत्पादन, बिक्री और रोजगार बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करना है:

i. **संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए):** एमएमडीए के अंतर्गत, सूती, ऊनी, पॉलीवस्त्र की खादी संस्थाओं के मामले में एमएमडीए का 35% कारीगरों को प्रोत्साहन के रूप में तथा रेशम के खादी संस्थानों के मामले में एमएमडीए का 30% कारीगरों को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाता है।

ii. **ब्याज सब्सिडी पूंजी प्रमाण पत्र (आईसेक):** इस स्कीम के अंतर्गत केवीआईसी द्वारा पात्र केआई को उनके उत्पादन और निधि की आवश्यकता के आधार पर ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। केआई बैंक ऋण ले सकते हैं और केवल 4% ब्याज का भुगतान कर सकते हैं। वास्तविक उधार दर और 4% के बीच का अंतर का भुगतान भारत सरकार द्वारा केवीआईसी के माध्यम से 'ब्याज सब्सिडी' के रूप में किया जाता है।

iii. **मौजूदा कमज़ोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढीकरण और विपणन बुनियादी ढांचे के लिए सहायता:** यह घटक कमज़ोर खादी संस्थाओं को सामान्य स्थिति हासिल करने के लिए प्रति खादी संस्था 15 लाख रुपये की सहायता से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, खादी संस्थाओं/विभागीय दुकानों को उनके जीर्णोद्धार के लिए प्रति बिक्री दुकान 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

iv. वैश्विक मानकों के लिए बेंचमार्क डिजाइन प्रक्रियाओं की स्थापना, नए कपड़े और उत्पाद बनाने, कपड़ों के लिए गुणवत्ता मानकों का प्रचार-प्रसार, नई खादी के बारे में दिलचस्प आख्यान बनाकर ब्रांडिंग और प्रचार, नए खादी उत्पादों के लिए रचनात्मक दृश्य विपणन और पैकेजिंग और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खादी फैशन शो और प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से खादी की वैश्विक पहुंच को बढ़ाने के लिए हब और स्पोक मॉडल पर **खादी उत्कृष्टता केंद्र**, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) नई दिल्ली को हब के रूप में, निफ्ट अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और शिलांग के साथ स्थापित किया गया है।

इसके अतिरिक्त एक क्लस्टर आधारित स्कीम अर्थात परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) है जिसका उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों को अधिक उत्पादक, लाभदायक और खादी कारीगरों सहित परंपरागत उद्योग के कारीगरों के लिए स्थायी रोजगार सृजित करने में सक्षम बनाना है। अब तक खादी कार्यकलापों से जुड़े 14 क्लस्टर विकसित किए गए हैं तथा क्लस्टर का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) सरकार केवीआईसी के माध्यम से अपने विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन के लिए www.khadiindia.gov.in के अपने स्वयं के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का संचालन कर रही है। यह केजीबी नई दिल्ली के खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचाने के लिए ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के साथ भी कार्य कर रहा है। केवीआईसी ने एमएसएमई-जेम पोर्टल (gem.gov.in) के साथ ई-मार्केट लिंकेज के माध्यम से प्रभावी विपणन बनाने के लिए केवीआई उत्पादों की आपूर्ति/विपणन तंत्र को भी सुदृढ़ किया है।

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान खादी क्षेत्र के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में संचयी रोजगार निम्नानुसार है:

वर्ष	तमिलनाडु में खादी क्षेत्र के अंतर्गत संचयी रोजगार (संख्या में)
2019-20	20263
2020-21	20236
2021-22	20277
2022-23	20381
2023-24	20464

(ङ) खादी क्षेत्र में महिला कारीगरों की भागीदारी लगभग 80% है और यह भागीदारी अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में है। सरकार ने खादी संवर्धन का लाभ महिलाओं और ग्रामीण कारीगरों सहित समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुँचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- एमएमडीए प्रोत्साहन राशि खादी कारीगरों/कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से सीधे प्रदान की जाती है।

- कताई मजदूरी में 25% की वृद्धि अर्थात 10.00/- रुपये प्रति हैंक से बढ़ाकर 12.50/- रुपये प्रति हैंक की गई है तथा दिनांक 02.10.2024 से सूती खादी, ऊनी खादी और पॉलीवस्त्र के लिए बुनाई मजदूरी में 7% की वृद्धि की गई है।

- खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम, कारीगरों को व्यक्तिगत और समूह वर्कशेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्कशेड की कुल लागत का 75% अथवा 1,20,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता और समूह वर्कशेड (न्यूनतम 5 और अधिकतम 15 कारीगर) के लिए, प्रति कारीगर 80,000/- रुपये अथवा समूह वर्कशेड की कुल लागत का 75%, जो भी कम हो, की सहायता प्रदान की जाती है।

- महिलाओं और ग्रामीण कारीगरों सहित समाज के सीमांत क्षेत्र के उत्थान के लिए, केवीआईसी अपने विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से खादी के विभिन्न विषयों जैसे खादी प्रौद्योगिकी, खादी बुनाई (फ्रेम/अर्धस्वचालित) पाठ्यक्रम, रेशम रीलिंग और कताई, खादी डिजाइन विकास, खादी कताई (एनएमसी) पाठ्यक्रम और सिलाई और कढ़ाई आदि में एसडीपी प्रदान करता है और ईएपी आयोजित करता है।

(च) सरकार खादी उत्पादन और कारीगरों की आजीविका में वृद्धि करने के लिए केजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत केवीवाई घटकों के माध्यम से खादी संस्थाओं (केआई) के साथ-साथ कारीगरों को प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित सहायता प्रदान कर रही है:

- संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए)
- ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईसेक) स्कीम
- खादी कारीगरों के लिए वर्क-शेड स्कीम
- मौजूदा कमज़ोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढीकरण और विपणन बुनियादी ढांचे के लिए सहायता

(छ) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में केवीआई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i) हब और स्पोक मॉडल पर खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।

ii) खादी उत्पादों को घरेलू स्तर पर सुलभ बनाने के लिए विभिन्न स्तर की प्रदर्शनियों का आयोजन तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में भागीदारी।

iii) खरीदार से उपभोक्ता तक उत्पाद की बिक्री करने के उद्देश्य से जेम पोर्टल (gem.gov.in) और ई-मार्केटिंग पोर्टल (www.ekhadiindia.com) के माध्यम से एमएसएमई के लिए ई-मार्केट लिंकेज के माध्यम से उत्पाद आपूर्ति/विपणन तंत्र की व्यवस्था की।

iv) खादी के पारखी और डिजाइनरों दोनों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न शहरी केंद्रों और टियर-II शहरों में खादी लाउंज की स्थापना करना।

v) खादी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों और विभिन्न सरकारी संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों के थोक खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करना।

vi) ग्राहकों को आकर्षित करने और केवीआई उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अवसरों/त्योहारों पर विशेष छूट की घोषणा की गई है।

vii) वैश्विक स्तर पर ब्रांड 'खादी' की पहचान बनाए रखने के लिए, केवीआईसी ने 15 देशों में ट्रेडमार्क 'खादी' के लिए तथा 31 देशों में खादी लोगो के लिए पंजीकरण प्राप्त किया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 658 के भाग (ख) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध

खादी कार्यकलापों के अंतर्गत स्फूर्ति क्लस्टरों की सूची

क्र.सं.	**क्लस्टर का नाम**	**क्लस्टर के उत्पाद**
1	बीजापुर खादी क्लस्टर	खादी उत्पाद
2	बिजयपुर सिल्क खादी क्लस्टर	ब्रोकेड/जैक्वार्ड/जामदानी साड़ी, डिज़ाइन किए गए सिल्क, फर्निशिंग, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के वस्त्र।
3	चक इस्लामपुर मलमल खादी क्लस्टर	प्रिंटेड फ़ैब्रिक, टाई और डाई स्कार्फ़, बच्चों के लिए तैयार किए गए रेडीमेड आइटम, एथनिक और इंडो-वेस्टर्न फ़ैशन
4	चित्रशाली खादी क्लस्टर	खादी शर्ट, कुर्ता, साड़ी, धोती आदि।
5	एरी सिल्क क्लस्टर	खादी उत्पाद
6	हरिहर खादी क्लस्टर	डिज़ाइनर सूती वस्त्र और मूल्य वर्धित खादी उत्पाद।
7	हुबली खादी क्लस्टर	उच्च मूल्य वाले खादी उत्पाद और नियमित सूती वस्त्र
8	कंगायम खादी क्लस्टर	रेडीमेड डिज़ाइनर शर्ट, पहनने के लिए तैयार आइटम, मूल्य वर्धित उत्पाद।
9	लखीमपुर रेशम क्लस्टर	खादी उत्पाद
10	पीएसके सिल्क खादी क्लस्टर	खादी उत्पाद
11	संदुर खादी क्लस्टर	खादी उत्पाद
12	संथाल परगना खादी क्लस्टर	डिज़ाइनर सिल्क खादी, स्पन सिल्क, रीलड सिल्क, कॉटन खादी, साड़ी, शॉल, चादर, तौलिए, आदि।
13	सिधल्गट्टा खादी क्लस्टर	रेडीमेड सिल्क वस्त्र और खादी फैशन उत्पाद।
14	विहान सर्वहारा स्फूर्ति क्लस्टर (बुलंदशहर)	खादी कपड़े, परिधान आदि।